न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 62/2021 जिला टोंक

शंकर पुत्र श्री गंगाधर, जाति मीणा, निवासी पचाला तहसील उनियारा जिला टोंक।

—अपीलांट

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, उनियारा, जिला टोंक।

—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर महोदय टोंक दिनांक 26.07.2021 जो अपील संख्या 63/2020 बउनवानी शंकर बनाम तहसीलदार महोदय उनियारा में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री गिरीश शर्मा(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः—श्री आकाश पारीक

निर्णय

दिनांकः—22.12.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के विरूद्ध ग्राम पचाला के खसरा नम्बर 1063, 1750,1789 रकबा 2.14 हे0 किस्म बारानी पर अमरूद एवं उड़द की काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। इस रिपोर्ट पर तहसीलदार उनियारा द्वारा पत्रावली नम्बर 1518/20 दर्ज की गयी है तथा अपने निर्णय दिनांक 18.09.2020 से अपीलांट शंकर पुत्र श्री गंगाधर मीणा को अतिक्रमी मानते हुए एलआरएक्ट की धारा 91 के तहत उसे कब्जे से बेदखल करने, फसल नीलाम करने एवं तीन महिने के सिविल कारावस की सजा से दण्डित किया। तहसीलदार उनियारा के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर टोंक न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। जिसमें उनके द्वारा सुनवाई के बाद अपने निर्णय प्रकरण संख्या 63/2020 दिनांक 26.07.2021 से अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया गया तथा तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 18.09.2020 यथावत रखा गया।

जिला कलक्टर टोंक के निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की गयी—

1. अपीलांट की तामील आदेश 5 सीपीसी के प्रावधान के अनुसार नहीं की गई।

2. परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय का आधार पटवारी द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय मौकारिपोर्ट को माना गया है। पटवारी रिपोर्ट पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। ना ही उक्त रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में बनायी गयी है।

3. अपीलांट स्वयं की भूमि पर काश्त कर रहा है एवं अमरूदों का बगीचा लगा रखा है तथा अपीलांट का खसरा नम्बर 1063, 1750,1789 में किसी प्रकार का कब्जाकाश्त नहीं है। इस बाबत शपथ पत्र भी जिला कलक्टर टोंक न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अपील स्वीकार की जायें तथा अपीलाधीन दोनो निर्णय दिनांक 18.09.2020 एवं 26.07.2021 निरस्त किये जायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:58 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट द्वारा अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा एक अन्य प्रार्थना पत्र नियम 17 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र में

प्रार्थी ने यह निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की वजह से पुलिसकर्मी उसको गिरफतार करने को आमादा है। उसने कब्जा हटा लिया है। सिविल कारावास की सजा को स्थगित किया जायें। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अपीलाधीन निर्णय की पालना एवं प्रभाव तथा सिविल कारावास की सजा को स्थगित रखे जाने का आदेश दिया जायें।

अन्य प्रार्थना पत्र नियम 17 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल में प्रार्थी ने बताया कि तहसीलदार उनियारा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.09.2020 की प्रमाणित प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जायेगी। तब तक उस अपीलाधीन निर्णय की फोटोप्रति प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की जायें।

अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किये जायें। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड मंगवाया जाकर प्राप्त किया गया।

अपील में आरंम्भिक सुनवाई के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उसकी गिरफतारी पर अंतरिम रोक लगाने बाबत आदेश जारी किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपीलांट वकील के अनुसार उनका अमरूद का बगीचा है। मौका पर्चा के दौरान अपीलांट अनुपस्थित था। एकपक्षीय रिकोर्ड के अनुसार कार्यवाही की हुई है तथा तहसीलदार उनियारा द्वारा तीन माह की सिविल कारावास की सजा सुनाई गई है। जिसकी अपील जिला कलक्टर को गई थी। कोई कब्जा नहीं है। सजा को स्थगित रखा जायें। राजकीय अभिभाषक ने बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय उनके अनुसार है तथा मौके पर अपीलांट का कब्जा नहीं है। इस बाबत कोई दस्तावेज/रिकोर्ड पत्रावली पर नहीं है। अभी पश्चातवृति कार्यवाही बाबत प्रकरण है।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों बहस बिन्दुओ का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के मियाद में होने बाबत विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2021 का है तथा न्यायालय हाजा में उक्त अपील 07.09.2021 को प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। अपील अंदर मियाद होना शुमार की जाती है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 17(32) रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया हुआ है। इस बाबत नकल प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में उसे अपीलाधीन आदेश की फोटोप्रति प्रदान करने की अनुमति दी जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णित प्रकरण 1518/20 के निर्णय की न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 25.08.2020 से 18.09.2020 का अवलोकन किया गया। मात्र दो पेशीयो में उक्त प्रकरण का निस्तारण तहसीलदार उनियारा द्वारा किया जाना पाया जाता है। उक्त प्रोसिडिंग के अवलोकन से यह पता नहीं लगता है कि अतिक्रमी न्यायालय में उपस्थित हुआ या नहीं तथा यदि वह अनुपस्थित रहा तो उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा दी गयी। यह भी प्रोसिडिंग के अवलोकन से स्पष्ट नहीं है। बिना विधिक प्रावधान की पालना किये बिना उक्त निर्णय दिया जाना पाया जाता है। हालांकि विस्तृत निर्णय में अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही बाबत मत [illegible] है। उक्त निर्णय दिनांक 18.09.2020 से स्पष्ट है कि मात्र पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर [illegible] उक्त निर्णय पारित किया गया। पटवारी रिपोर्ट किस दिनांक की है यह अंकित नहीं है। उक्त पटवारी रिपोर्ट में अपीलांट का खसरा नम्बर 1063 जिसका कुल रकबा 1.85 [illegible] 0.92 हे0 भूमि पर बगीचा अमरूद द्वारा अतिक्रमण बताया गया है। खसरा नम्बर 1750 में 0.84 हे0 भूमि पर तथा 1789 हे0 में 0.38 हे0 भूमि पर उड़द काश्त कर अतिक्रमण बताया गया है। तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:58 IST
Reason: Self Attested

दिनांक 25.08.2020 अन्तर्गत एल0आर0एक्ट 91 का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस अपीलांट को प्रकरण संख्या 1518/20 में संवत 2077 में अतिक्रमण करने बाबत दिया गया था तथा नोटिस की पुश्त पर शंकर व कालूराम अंकित है। पटवारी बयान विजेन्द्र सिंह गुर्जर में किसी दिनांक का हवाला नहीं है तथा पटवारी न्यायालय तहसीलदार उनियारा को उपस्थित हुआ है या नहीं यह पता नहीं लगता है। उक्त बयान में पटवारी द्वारा पूर्व संवत 2076 का हवाला दिया हुआ है तथा अपीलांट अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने का अंकन किया हुआ है।

अपीलांट द्वारा तामील नहीं होने की बात नहीं की गई है। अपितु प्रोपर तामील का अभाव बताया है। तहसीलदार उनियारा द्वारा जारी नोटिस की पुश्त पर शंकर अंकित है। यह माना जा सकता है कि अतिक्रमी को व्यक्तिगत तामील हुई है। ऐसी अवस्था में तामील के बिन्दु को नहीं उठाया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय में अपीलांट अतिक्रमी को अमरूद का बगीचा एवं उड़द की काश्त करने हेतु अतिक्रमी माना गया है तथा पूर्ववर्ती संवत 2076 में भी अपीलांट अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने की बात अपने निर्णय में की गई है। न्यायालय का यह मानना है कि यदि संवत 2076 में भौतिक रूप से बेदखल किया गया होता तो बहुत ही कम अवधि के बाद वह पुनः बगीचा लगाकर अतिक्रमण नही कर सकता है। न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट अतिक्रमी को पूर्ववर्ती संवत में भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। ऐसी अवस्थ में उसे पश्चातवर्ती अतिकर्मी नहीं माना जा सकता है। साथ ही तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय में कोई स्वतंत्र गवाह के बयान दर्ज नहीं करवाये गये है। सिर्फ पटवारी के लिखित बयान को ही आधार माना गया जो उचित नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दुओ पर गौर न करते हुए तहसीलदार उनियारा द्वारा दिये गये निर्णय को यथावत रखा गया है जो उचित नहीं है। न्यायालय का यह मानना है कि उचित प्रक्रियाओं की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय दिया गया। अपीलाधीन निर्णय द्वारा तहसीलदार उनियारा दिया गया। अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य है। अतिक्रमी के विरूद्ध दी गई तीन माह की सिविल कारावास की सजा की सीमा तक अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णयो द्वारा तहसीलदार उनियारा प्रकरण संख्या 1518/2020 दिनांक 18.09.2020 एवं जिला कलक्टर टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 63/2020 दिनांक 26.07.2021 में अपीलांट अतिक्रमी के विरूद्ध तीन माह के सिविल कारावास की सजा की सीमा तक निर्णयों को अपास्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 22.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:58 IST
Reason: SelfAttested